

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 09/2012 एम.जे.सी

संस्थापन दिनांक 10.07.2012

1. रमा तौमर आयु 23 वर्ष पत्नी शिवसिंह तौमर
2. नितिन आयु 3 माह पुत्र शिवसिंह तौमर नाबालिग सरपरस्त मां स्वयं रमा तौमर निवासीगण ग्राम ऐन्हों थाना एण्डोरी हाल गुढ़ा चम्बल थाना जौरा जिला मुरैना म.प्र.

— आवेदकगण

बनाम

1. शिवसिंह तौमर आयु 30 वर्ष पुत्र गजेन्द्रसिंह तौमर निवासी ग्राम ऐन्हों थाना एण्डोरी परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 हाल पदस्थ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल बंगरसिया भोपाल मकान नंबर 1/41 सी.आर.पी.एफ. बंगरसिया भोपाल म0प्र0

— अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक.....को पारित)

1. इस आदेश द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 125 द0प्र0स0 पर आदेश किया जा रहा है।
2. प्रकरण में स्वीकृत है कि रमा अ.सा.1 का विवाह शिवसिंह अना.सा.1 के साथ दिनांक 07.03.11 को संपन्न हुआ है।
3. आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका रमा अ.सा.1 का विवाह अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 के साथ दिनांक 07.03.11 को हिन्दू रीति रिवाज के साथ ग्वालियर में संपन्न हुआ था। विवाह में आवेदिका रमा अ.सा.1 के पिता द्वारा अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दहेज चार लाख रुपये नगद तथा पचास हजार रुपये, मोटरसाइकिल हेतु एवं अन्य घर गृहस्थी का सामान दिया था। विवाह के बाद ही आवेदिका रमा अ.सा.1, अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 के साथ,

अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 के पैतृक गांव ग्राम एन्हों में आकर निवास करने लगी तो, अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 व उसके माता पिता व भाइयों ने आवेदिका रमा अ.सा.1 से दहेज में पचास हजार रुपये अपने पिता से लाने हेतु तरह-तरह की यातनायें देने लगे तथा आये दिन मारपीट करने लगे एवं खानेपीने को भी नहीं देते थे। दिनांक 01.08.11 को अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आवेदिका रमा अ.सा.1 की मारपीट कर गर्भवती अवस्था में पहुँचे हुए कपड़ों में घर से निकाल दिया और कहा कि वह अपने पिता से पचास हजार रुपये लेकर आये तभी रखेंगे। आवेदिका रमा अ.सा.1 के पिता द्वारा समाज के संभ्रांत लोगों को लेकर अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 के गृहगांव एन्हों में पंचायत जोड़ी किन्तु अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 व उसे पिता तथा भाइयों द्वारा कहा गया कि उन्हें पचास हजार रुपये दहेज के लिए देंगे तभी वह उनकी लड़की को रखेंगे नहीं तो उसे जान से खतम कर देंगे।

4. आवेदन में यह भी अभिवचन किया है कि, आवेदिका रमा अ.सा.1 अगस्त 2011 से मजबूरन अपने पिता के घर रहकर जीवनयापन कर रही है। आवेदिका रमा अ.सा.1 का पिता वृद्ध होकर गरीब है जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तथा आवेदिका रमा अ.सा.1 अशिक्षित घरेलू महिला है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं है एवं उसके पास आवेदक क्रमांक 2 नितिन तीन माह का बच्चा है एवं रूपयों के अभाव में उसकी भी सही परवरिश नहीं हो पा रही है। अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 के पास ग्राम एन्हों में पैतृक कृषि भूमि है जिससे अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 को एक लाख रुपये वार्षिक आय होती है तथा वह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल भोपाल में आरक्षक के पद पर पदस्थ है जिससे अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 को करीब 22,000/-रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है एवं ग्वालियर में स्थित मकान से किराये के रूप में आय प्राप्त होती है। इस प्रकार अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 को कुल 35,000/-रुपये मासिक आय प्राप्त होती है। अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 द्वारा आवेदिका रमा अ.सा.1 का बिना किसी युक्तियुक्त कारण के दहेज के लालच में त्याग कर दिया है और घर से निकाल दिया है। आवेदिका रमा अ.सा.1 को मार्च 2012 में भोपाल में ऑपरेशन के द्वारा आवेदक क्रमांक 2 नितिन को जन्म दिया है उक्त ऑपरेशन में करीब 40,000/-रुपये खर्च हुआ था जिसकी सूचना अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 को देने के बाद भी अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 आवेदिका रमा अ.सा.1 की देखरेख हेतु नहीं आया और ना ही उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई खर्चा दिया गया है। अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 के द्वारा आवेदिका रमा अ.सा.1 से ग्राम एन्हों तहसील गोहद में दहेज के लिए मारपीट कर घर से निकाला है इस कारण सुनवाई का श्रवण क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 से 20,000/-रुपये प्रतिमाह भरण पोषण के लिए दिलाये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया है।

5. अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 ने आवेदन का जवाब पेश कर स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त के संपूर्ण तथ्यों को अस्वीकार कर अभिवचन किया है कि रमा अ.सा.1 का विवाह शिवसिंह अना.सा.1 के साथ हिन्दू रीति के अनुसार शिवसिंह अना.सा.1 के पिता का ससुराल ग्राम गढ़ाचम्बल तहसील जौरा जिला मुरैना में उभयपक्ष के परिजनों की सहमति से संपन्न हुआ था जिसमें बारात ग्वालियर से गयी थी और वापिस भी ग्वालियर आयी। अतः वैवाहिक स्थान ग्वालियर था।

विवाह के पश्चात मात्र 4-5 दिन के लिए रीति अनुसार देवीदेवताओं की पूजा अर्चना व अन्य रस्मों के लिए अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 के गृह गांव ऐन्हों तहसील गोहद जिला भिण्ड में गये थे। जहां से आने के बाद रमा अ.सा.1 का कभी भी शिवसिंह अना.सा.1 के गृहगांव नहीं गयी। दिनांक 30.03.11 से शिवसिंह अना.सा.1 और रमा अ.सा.1 क्वार्टर क्रमांक 41 टाईप एक गुप के सी.आर.पी.एफ. कैम्प बंगरसिया भोपाल स्थित शिवसिंह अना.सा.1 के घर पर दिनांक 29.07.11 तक रहे विवाह में दहेज नहीं लिया दिया गया और ना ही कोई दहेज की मांग की गयी। भोपाल में शिवसिंह अना.सा.1 की मां भगवती देवी, छोटा भाई विक्रमसिंह अना.सा.2 और भतीजी निशा तौमर पूर्व से ही निवासरत थे और शिवसिंह अना.सा.1 का शेष परिवार पैतृक गांव व ग्वालियर में दो भागों में रह रहा था। दिनांक 07.03.11 से 30.03.11 तक विवाह के पश्चात के 23 दिन रस्मों को पूरा करने में व्यतीत हो गये। जिसमें रमा अ.सा.1 के मायके जाने और विदा होकर आने के 15 दिन सम्मिलित हैं दिनांक 01.08.11 को शिवसिंह अना.सा.1 ने रमा अ.सा.1 को पैतृक गांव से मारपीट करके नहीं निकाला उक्त दिनांक को रमा अ.सा.1 शिवसिंह अना.सा.1 के साथ भोपाल स्थित घर में रह रही थी जो धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन प्रस्तुत प्र०क० 608ए/14 समक्ष जिला न्यायालय भोपाल में रमा अ.सा.1 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में स्वीकार किया गया है। रमा अ.सा.1 जब भोपाल में रही तब कुछ दिनों तक उसका व्यवहार ठीक था लेकिन बाद में वह जानबूझकर शिवसिंह अना.सा.1 की माता से झगड़ती थी खाना नहीं बनाती थी और खाने के समय पड़ौस में जाती थी समझाने पर भी झगड़ा करती थी।

6. जवाब में यह भी अभिवचन किया है कि रमा अ.सा.1 शिवसिंह अना.सा.1 से उसके मां-भाई व भतीजी को साथ न रखने का कहकर अपने भाइयों को रखने का कहती थी और जो पैसे शिवसिंह अना.सा.1 अपने घर भेजता था उसे भेजने से मना कर और जेवर बनवाने का कहती थी अन्यथा दहेज का केस लगवाकर नौकरी छुड़वाने की धमकी देती थी। दबाव डालने के लिए रमा अ.सा.1 कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर आत्महत्या करने की धमकी देकर शिवसिंह अना.सा.1 को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। दिनांक 29.07.11 को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने रमा अ.सा.1 के माता पिता शिवसिंह अना.सा.1 के भोपाल स्थित घर से लेकर गये थे और जाते समय तय हुआ था कि शिवसिंह अना.सा.1 रमा अ.सा.1 को नवदुर्गा से पहले लेने के लिए आयेगा। जाते समय रमा अ.सा.1 बिना शिवसिंह अना.सा.1 को बताये बिना शिवसिंह अना.सा.1 की मां के जेवर व विवाह के समय बनवाये जेवर जो एक ही संदूक में रखे हुए थे, को भी बदनीयतीपूर्वक अपने जेवर कपड़ों के साथ मायके लेकर चली गयी। मायके जाने के बाद रमा अ.सा.1 व उसके पिता ने दूरभाष पर धमकी दी थी जब तक ढाई लाख रुपये शिवसिंह अना.सा.1 नहीं देगा जब तक वह शिवसिंह अना.सा.1 की मां के गहने वापिस नहीं करेंगे और रमा अ.सा.1 को वापिस नहीं भेजेंगे और न मानने पर दहेज का मुकद्दमा लगवाकर शिवसिंह अना.सा.1 की नौकरी छुड़वा देंगे। परन्तु शिवसिंह अना.सा.1 ने रमा अ.सा.1 को लाने का प्रयास किया और तत्काल शिकायत की। दिनांक 28.09.11 को जब शिवसिंह अना.सा.1 रमा अ.सा.1 को लेने उसके पिता के घर गया तब रमा अ.सा.1 के पिता ने कहा कि अभी नवदुर्गा का उपवास है और पहले गहने व पैसे दे जाओ और दशहरे के बाद रमा अ.सा.1 आयेगी और रमा अ.सा.1 ने आने से मना कर दिया। रमा अ.सा.1 के पिता ने

शिवसिंह अना.सा.1 के गांव आकर शिवसिंह अना.सा.1 को धमकाया जिसकी रिपोर्ट शिवसिंह अना.सा.1 द्वारा दिनांक 28.01.12 को थाना एण्डोरी में की गयी। दिनांक 05.10.11 को शिवसिंह अना.सा.1 पुनः रमा अ.सा.1 को लेने गया लेकिन रमा अ.सा.1 ने आने से मना कर दिया। दिनांक 14.08.11 को शिवसिंह अना.सा.1 ने अपने विभाग के उच्चाधिकारियों को लिखित सूचना देकर अवगत कराया जिनकी सलाह पर थाना मिसरोल भोपाल में लिखित शिकायत की और थाना देवगढ़ व पुलिस अधीक्षक मुरैना को भी डाक से शिकायत प्रेषित की और परिवार परामर्श केन्द्र थाना हबीबगंज में भी आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन रमा अ.सा.1 उपस्थित नहीं हुई।

7. जवाब में यह भी अभिवचन किया है कि अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 ने तत्पश्चात जिला न्यायालय भोपाल में धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन दिनांक 29.11.11 को प्रकरण प्रस्तुत किया जो माननीय तेरहवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भोपाल के समक्ष विचाराधीन है। रमा अ.सा.1 बिना पर्याप्त कारण के शिवसिंह अना.सा.1 के साथ नहीं रह रही है और जानबूझकर शिवसिंह अना.सा.1 को दाम्पत्य संबंधों से वंचित कर अपने धर्म का पालन न कर अपने मायके में रह रही है। रमा अ.सा.1 के पिता ने विवाह के समय जानकारी दी थी कि रमा अ.सा.1 ने बारहवीं तक शिक्षा ग्रहण की है। रमा अ.सा.1 के पिता के ससुर की लगभग 20बीघा भूमि व मकान वसीयत में प्राप्त हुआ है। रमा अ.सा.1 व उसके पिता को दादा की वसीयत से ग्राम गढ़ी में 10बीघा कृषि भूमि प्राप्त हुई है जिससे रमा अ.सा.1 को डेढ़ लाख रुपये की आय हो जाती है जिसके कारण रमा अ.सा.1 शिवसिंह अना.सा.1 की नौकरी छुड़वाकर उसे अपने साथ मायके रखना चाहती है। शिवसिंह अना.सा.1 के पास कोई कृषि भूमि नहीं है और ना ही ग्वालियर में कोई मकान है। शिवसिंह अना.सा.1 को मात्र बारह हजार रुपये वेतन प्राप्त होता है और वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है जिस पर अपने माता पिता व अन्य दो भाइयों के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी है। धारा 9 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन लंबित प्रकरण में भी धारा 24 हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन रमा अ.सा.1 ने दिनांक 06.08.12 को आवेदन प्रस्तुत किया था और दस हजार रुपये मासिक भरण पोषण की मांग की थी। जो न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाकर पांच हजार रुपये दो किस्तों में वाद व्यय और ढाई सौ रुपये प्रति न्यायालय में उपस्थिति पर आवागमन व्यय प्रदान किए जाने का आदेश दिया गया है। जिसे आवेदिका रमा अ.सा.1 ने छिपाया है। अतः आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

8. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है कि :-

1. क्या अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति है ?
2. क्या आवेदकगण स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है ?
3. क्या अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 ने आवेदकगण के भरण पोषण की उपेक्षा की है ?
4. क्या अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 आवेदिका रमा अ.सा.1 को साथ रखकर भरण पोषण करने की प्रस्थापना कर रहा है परन्तु आवेदिका रमा अ.सा.1 बिना पर्याप्त कारण के अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 के साथ रहने से इंकार कर रही है ?
5. क्या प्रकरण का स्थानीय श्रवण क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त

है ?

6. सहायता एवं व्यय ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 05 का सकारण निष्कर्ष //

9. रमा अ.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उसकी शादी ग्वालियर में हुई थी और वह विवाहित होकर ग्वालियर आई थी उसके बाद वह ग्राम ऐन्हों गये थे। जहां उसकी सास, ससुर, जेठ, देवर व पति शिवसिंह अना.सा.1 ने रमा अ.सा.1 से पचास हजार रुपये की दहेज की मांग की अन्यथा न रखने व जान से मारने को कहा। उसके बाद शिवसिंह अना.सा.1 उसे भोपाल ले गया। सुरेशसिंह अ.सा.2 ने भी रमा अ.सा.1 के उपरोक्त कथन का अपने मुख्यपरीक्षण में समर्थन किया है कि शादी के बाद शिवसिंह अना.सा.1 पैतृक ग्राम ऐन्हों उसकी पुत्री को ग्वालियर से लेकर आया था जहां उसकी मारपीट की। फिर भोपाल ले गया जहां भी उसे परेशान किया। प्रेमसिंह अ.सा.3 जिसकी रमा अ.सा.1 भानजी है ने भी मुख्यपरीक्षण में रमा अ.सा.1 के कथन का समर्थन किया है कि उन्हीं के यहां से उभयपक्ष का विवाह हुआ था। दर्शनसिंह अ.सा.4 जिसकी रमा अ.सा.1 भानजी है, ने भी मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि रमा अ.सा.1 की शादी के बाद पहली विदा हुई थी तब शिवसिंह अना.सा.1, रमा अ.सा.1 को लेकर अपने पैतृक ग्राम ऐन्हों आया था फिर ऐन्हों से भोपाल ले गया जहां रमा अ.सा.1 शिवसिंह अना.सा.1 के साथ 4-5 माह रही। शिवसिंह अना.सा.1 ने कथन किया है कि दिनांक 07.03.11 को ग्राम गुढ़ा चम्बल जिला मुरैना से उसकी शादी हुई थी और बारात ग्वालियर से गयी थी और ग्वालियर ही वापिस आयी थी इसके बाद वह 4-5 दिन के लिए अपने ग्राम, देवपूजा के लिए गये थे और वापिस ग्वालियर आ गये। उसके बाद रमा अ.सा.1 अपने मायके गयी और वह भोपाल अपनी नौकरी पर आ गया था।
10. इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 18.03.2013 को पारित आदेशानुसार इस न्यायालय को स्थानीय श्रवण क्षेत्राधिकार होना निर्धारित किया गया है उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड के समक्ष पुनरीक्षण क्रमांक 115/13 उनमान शिवसिंह अना.सा.1 बनाम म0प्र0शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.10.13 के अनुसार भी विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 18.03.13 स्थिर रखा गया है और स्थानीय श्रवण क्षेत्राधिकारिता के संबंध में अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 की आपत्ति अस्वीकार की गयी है। उक्त आदेश दिनांक को आवेदिका की साक्ष्य प्रारंभ नहीं हुई थी अतः साक्ष्य में आये तथ्यों के आधार पर अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 द्वारा पुनः आपत्ति ली गयी है कि न्यायालय को स्थानीय श्रवण क्षेत्राधिकारिता प्राप्त नहीं है।
11. धारा 126 द.प्र.स. के अधीन धारा 125 द.प्र.स. की कार्यवाही ऐसे जिले में की जा सकती है जहां कि अनावेदक है अथवा जहांकि अनावेदक व उसकी पत्नी निवास करती है अथवा जहां कि अनावेदक ने अपनी पत्नी के साथ निवास किया। अनावेदक ने न्यायदृष्टांत **विजय कुमार प्रसाद बनाम बिहार राज्य व अन्य 2004(2) काइम 412 (सु.को.)** प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार पिता को पुत्र से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का क्षेत्राधिकार उसी न्यायालय को है जहां कि अनावेदक निवास करता हो और पत्नी व बच्चों को स्वयं

के निवास स्थान पर भरण पोषण प्रस्तुत करने का अधिकार के समान अधिकार पिता को प्राप्त नहीं हैं। वर्तमान प्रकरण में पत्नी और संतान द्वारा यह आवेदन पेश किया गया है। पिता के द्वारा आवेदन पेश नहीं किया गया है अतः उक्त न्यायदृष्टांत प्रकरण में लागू नहीं होता है। न्यायदृष्टांत **सम्पूर्णम बनाम एन. सुन्दरासेन ए.आई.आर 1953 मद्रास 78** में अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 126 द.प्र.स. के अधीन क्षेत्राधिकार का तथ्य उदारतापूर्वक निर्वाचित किया जाना चाहिए जिससे कि असहाय महिला न्यायालय से सुविधापूर्वक मदद प्राप्त कर सके जोकि उसे उपलब्ध हो। अतः धारा 126 द.प्र.स. के अधीन क्षेत्राधिकारिता का निर्धारण किया जाना है।

12. रमा अ.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में स्वीकार किया है कि विवाह के समय बारात ग्वालियर गयी थी और वापिस ग्वालियर ही आई थी और देवी देवताओं की पूजा करने के लिए वह अपने पति के साथ ग्राम ऐन्हों थाना एण्डोरी गयी थी और इस सुझाव से इंकार किया है कि वह रस्मों के लिए गांव में केवल 4-5 दिन के लिए रुके थे और स्वतः कथन किया है कि 2-3 महीने रुके थे। रमा अ.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में स्वीकार किया है कि भोपाल से अपने पिता के साथ आने के पश्चात वह कभी भी ग्राम ऐन्हों नहीं रही और पिता के घर ग्राम गुढ़ा चम्बल में रह रही है और यह प्रकरण पेश करते समय भी अपने पिता के यहां गुढ़ा चम्बल में रही है और इस सुझाव को स्वीकार किया है कि अंतिम निवास स्थान अपने पति के साथ भोपाल में रहा है। सुरेशसिंह अ.सा.2 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में कथन किया है कि शादी के पश्चात उसकी बेटी ससुराल में ग्राम ऐन्हों में 4-6 दिन तो रही होगी वह निश्चित नहीं बता सकता है। अतः रमा अ.सा.1 व सुरेशसिंह अ.सा.2 के कथन में ग्राम ऐन्हों में किए गए निवास की अवधि में विरोधाभास है। सुरेशसिंह अ.सा.2 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में स्वीकार किया है कि आखिरी बार उसकी बेटी रमा अ.सा.1 भोपाल से उसके पास ग्राम गुढ़ाचम्बल आई है तब से वह गुढ़ाचम्बल में ही रह रही है और इस प्रकरण की प्रस्तुति के समय ही वह ग्राम गुढ़ाचम्बल में ही रह रही थी। प्रेमसिंह अ.सा.3 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में स्वीकार किया है कि रमा अ.सा.1 व उसके पिता का निवास स्थान ग्राम गुढ़ा चम्बल में है और शादी के बाद रमा अ.सा.1 शिवसिंह अना.सा.1 के साथ उसके कार्यस्थल पर गयी थी और शादी के बाद रमा अ.सा.1 सीधे ग्वालियर शिवसिंह अना.सा.1 के मकान पर गयी थी और स्वीकार किया है कि वर्तमान में शिवसिंह अना.सा.1 भोपाल में निवास कर रहा है और प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में स्वीकार किया है कि रमा अ.सा.1 अंतिम बार पिता के यहां रहने के लिए शिवसिंह अना.सा.1 के यहां से आयी थी और स्वीकार किया है कि रमा अ.सा.1 ऐन्हों में रहने के लिए कभी नहीं गयी। दर्शनसिंह अ.सा.4 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में कथन किया है कि शादी होने के बाद रमा अ.सा.1 ग्वालियर गयी और फिर ग्राम ऐन्हों गयी और उन्होंने ग्वालियर से ही विदा कराई थी। रमा अ.सा.1 ग्वालियर से सीधे भोपाल गयी और रमा अ.सा.1 भोपाल से सीधे गुढ़ा चम्बल आयी थी और भोपाल से आने के बाद ग्राम ऐन्हों नहीं गयी और स्वतः कथन किया है कि शादी के बाद रमा अ.सा.1 ऐन्हों गयी थी। रमा अ.सा.1 व सुरेश अ.सा.2 ने रमा का अल्प अवधि में ग्राम ऐन्हों में रहना बताया है। परन्तु धारा 126(1)(ए) द.प्र.स. के उपबन्ध हेतु जहां कि अनावेदक है उस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ग्राम ऐन्हों में आवेदिका ने स्वयं का निवास होना नहीं बताया है। अतः ग्राम ऐन्हों में अनावेदक का निवास

होने की दशा में न्यायालय को श्रवण क्षेत्राधिकारिता प्राप्त रहेगी।

13. शिवसिंह अना.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में कथन किया है कि उसके माता पिता व भाई वीरेन्द्रसिंह ग्राम ऐन्हों में रहते हैं। उसका परिवार सभी शामिल रहते हैं गांव में सिर्फ मकान व जमीन का बंटवारा भाइयों के मध्य नहीं हुआ है। उसका बड़ा भाई अजयपाल ग्वालियर में अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहता है। ग्वालियर में अनावेदक का स्वयं का कोई मकान नहीं है और अजयपाल संतोषसिंह के मकान में रह रहा है जहां से शादी हुई थी। यह भी स्वीकार किया है कि वर्तमान में उसकी पोस्टिंग भोपाल में नहीं है और प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में स्वीकार किया है कि भोपाल में उसका स्वयं का मकान नहीं है। शिवसिंह अना.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में कथन किया है कि शादी के बाद 3-4 दिन के लिए देवी पूजा के लिए वह अपने गांव गये थे। शिवसिंह अना.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 में इंकार किया है कि नारायणविहार कॉलोनी ग्वालियर में उसका मकान प्लॉट है।
14. न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दिनांक को शिवसिंह अना.सा.1 ने अपना पता नारायणविहार कॉलोनी ग्वालियर उल्लिखित किया है। अतः शिवसिंह अना.सा.1 का वर्तमान में भोपाल पदस्थापना न होने से भोपाल व ग्वालियर में स्वयं का कोई मकान नहीं है। ग्राम ऐन्हों में उसके माता पिता व भाई शामिली रूप से निवास करते हैं और बंटवारा भी नहीं हुआ है। आवेदन प्र0डी-1 में शिवसिंह अना.सा.1 ने अपना स्थायी निवास ग्राम ऐन्हों तहसील गोहद ही उल्लिखित किया है। भोपाल में शिवसिंह अना.सा.1 का निवास मात्र अस्थायी था। अतः शिवसिंह अना.सा.1 का स्थायी निवास स्थान ग्राम ऐन्हों ही होना स्पष्ट होता है। ऐन्हों के अतिरिक्त शिवसिंह का अन्य कोई स्थायी निवास प्रमाणित नहीं हुआ है। धारा 126 द.प्र.स. के अधीन जहां कि अनावेदक रहता है उस जिले के न्यायालय को क्षेत्राधिकार होना उपबन्धित है। अतः जबकि अनावेदक ग्राम ऐन्हों का स्थायी निवासी है। तब इस न्यायालय को स्थानीय श्रवण क्षेत्राधिकारिता रहती है।
15. अतः इस विचारणीय प्रश्न का विनिश्चय साबित के रूप में दिया जाता है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 का संकारण निष्कर्ष //

16. रमा अ.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उसके पिता वृद्ध और गरीब हैं जो उसका भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं वह अशिक्षित है उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। सुरेशसिंह अ.सा.2 ने भी रमा अ.सा.1 के उपरोक्त कथन का अपने मुख्यपरीक्षण में समर्थन किया है कि उसकी बेटी की आय का कोई साधन नहीं है वह स्वयं भी गरीब है और उसके बच्चे छोटे-छोटे हैं। प्रेमसिंह अ.सा.3 ने भी कथन किया है कि रमा अ.सा.1 पढ़ीलिखी नहीं है वह कुछ कार्य नहीं कर पाती है। दर्शनसिंह अ.सा.4 ने भी कथन किया है कि रमा अ.सा.1 कुछ नहीं करती है। वह घर पर ही रहती है।
17. रमा अ.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में कथन किया है कि वह हाईस्कूल तक पढ़ीलिखी है। रमा अ.सा.1 के प्रतिपरीक्षण में इस आशय का कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है कि वह स्वयं किसी माध्यम से आय अर्जित करती हो। आवेदक क 2 नितिन जिसकी आयु वर्तमान में लगभग 4 वर्ष है भी स्वाभाविक रूप से आय के स्रोत के अभाव में आय अर्जन करने हेतु सक्षम नहीं है। रमा अ.सा.1

ने मुख्यपरीक्षण में स्वयं का अशिक्षित होना बताया है जबकि प्रतिपरीक्षण में हाईस्कूल पास होना बताया है। अतः उक्त तथ्य शिक्षा ग्रहण के संबंध में रमा अ.सा.1 के कथन में विरोधाभास स्पष्ट करता है। लेकिन इस विचारणीय प्रश्न में रमा अ.सा.1 की आय अर्जन की सक्षमता विनिश्चित की जाना है। अतः शिक्षा के संबंध में विरोधाभास तात्त्विक नहीं रहता है।

18. सुरेशसिंह अ.सा.2 के प्रतिपरीक्षण में भी इस आशय का कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है कि रमा अ.सा.1 किसी माध्यम से आय अर्जित करती हो। सुरेशसिंह अ.सा.2 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 में इंकार किया है कि रमा अ.सा.1 को दादा की वसीयत से ग्राम गढ़ी तहसील मेहगांव जिला भिण्ड में दस बीघा भूमि प्राप्त हुई है जिससे डेढ़ लाख रुपये प्रतिवर्ष की आय अर्जित होती है। रमा अ.सा.1 के स्वत्व की कृषि भूमि होने के संबंध में अनावेदक ने भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। सुरेशसिंह अ.सा.2 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 में स्वीकार किया है कि उसके पास 9 बीघा जमीन है और शिवसिंह अना.सा.1 के पास कितनी जमीन है उसे नहीं मालूम। पिता के स्वत्व की भूमि में पिता के जीवित रहते हुए रमा अ.सा.1 को स्वत्व प्राप्त है यह अभिधारित नहीं होता है।
19. शिवसिंह अना.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 में इंकार किया है कि आवेदिका रमा अ.सा.1 के पास आय का कोई साधन नहीं है। बचाव पक्ष द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है। अतः आवेदकगण स्वयं की आय अर्जित कर स्वयं का भरण पोषण कर रहे हैं यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि आवेदकगण स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हैं।
20. अतः इस विचारणीय प्रश्न का विनिश्चय साबित के रूप में दिया जाता है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का सकारण निष्कर्ष //

21. रमा अ.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि शिवसिंह अना.सा.1 सी.आर.पी.एफ. में नौकरी करते हैं और गांव में कृषि भूमि है और ग्वालियर शहर में मकान है जिन सबसे शिवसिंह अना.सा.1 की 35-36 हजार रुपये की आमदनी होती है। प्रेमसिंह अ.सा.3 ने भी मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि शिवसिंह अना.सा.1 सी.आर.पी.एफ. में नौकरी करता है ग्राम ऐन्हों में उसकी कृषि भूमि है और ग्वालियर में मकान है जिससे पैंतीस हजार रुपये की मासिक आमदनी होती है। दर्शनसिंह अ.सा.4 ने भी कथन किया है कि शिवसिंह अना.सा.1 सी.आर.पी.एफ. में नौकरी करता है।
22. शिवसिंह अना.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 में स्वीकार किया है कि वह सैनिक पद पर सी.आर.पी.एफ. में पदस्थ है और इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके पिता के नाम ग्राम ऐन्हों में खेती की जमीन है और उसका नारायणविहार कॉलोनी ग्वालियर में मकान व प्लॉट है और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि कृषि व नौकरी से 35,000/- रुपये और मकान के किराये से भी उसकी आय अर्जित होती है।
23. रमा अ.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में स्वीकार किया है कि शिवसिंह अना.सा.1 की मासिक आय 35-36 हजार रुपये होने के संबंध में उसने कोई

दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया है। उसने कृषि योग्य भूमि होने का भी दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया है और इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके पति की आय नौकरी से केवल बारह हजार रुपये प्राप्त होती है। इस सुझाव से इंकार किया है कि शिवसिंह अना.सा.1 एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है और उसके उपर समस्त परिवार की जिम्मेदारी है। प्रेमसिंह अ.सा.3 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में इंकार किया है कि शिवसिंह अना.सा.1 की पैंतीस हजार रुपये की आय नहीं है।

24. न्यायदृष्टांत **दुर्गासिंह बनाम प्रेमाबाई 1990 सी.आर.एल.जे. 2065** में प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति योग्य शरीर वाला जो कमाने की स्थिति में है वह भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति माना जायेगा।
25. वर्तमान में अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 सी.आर.पी.एफ. में सैनिक के पद पर पदस्थ होना स्वीकृत है उसकी वर्तमान आय कितनी है यह सर्वश्रेष्ठ रूप से अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 स्वयं अपने वेतन पत्रक प्रस्तुत कर स्पष्ट कर सकता था परन्तु अपने वेतन के संबंध में अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। अनावेदक की कृषि आय के संबंध में आवेदिका द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है।
26. अतः वर्तमान में अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 शासकीय सेवा में कार्यरत है जिससे उसे वेतन प्राप्त होता है और व्यक्तिगत पारिवारिक दायित्व में आवेदकगण उसकी पत्नी व संतान हैं जिनका वह सैनिक के रूप में प्राप्त वेतन से उचित भरण पोषण कर सकता है।
27. अतः अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति होना सिद्ध होता है। अतः इस विचारणीय प्रश्न का विनिश्चय साबित के रूप में दिया जाता है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 04 का सकारण निष्कर्ष //

28. रमा अ.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि शादी के बाद वह ऐन्हों गये थे। जहां उससे पचास हजार रुपये की अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 ने मांग की उसकी मारपीट करते थे। इसके बाद शिवसिंह अना.सा.1 उसे भोपाल ले गया जहां दहेज के लिए उसकी बहुत मारपीट की। उसके बाद उसने अपने पिता को फोन करके बुलाया और सारी बात बतायी तो उसके पिता ने शिवसिंह अना.सा.1 को समझाया लेकिन शिवसिंह अना.सा.1 ने पचास हजार रुपये मांगे और उसे पीटा व उसके पिता को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वहां से वह अपने पिता के साथ ग्राम गुढा चम्बल आ गयी थी तब से वह अपने माता पिता के पास रह रही है।
29. सुरेशसिंह अ.सा.2 ने भी रमा अ.सा.1 के उपरोक्त कथन का अपने मुख्यपरीक्षण में समर्थन किया है कि रमा अ.सा.1 की उससे बात नहीं होने देते थे और जब वह शिवसिंह अना.सा.1 को समझाने भोपाल गया तो उसकी पुत्री को धक्का देकर निकाल दिया और तब वह उसे भोपाल से साथ लेकर अपने घर आया। तभी से रमा अ.सा.1 उसके साथ रह रही है। शिवसिंह अना.सा.1 पैसा मांगता है इसलिए उसकी बेटी को अपने साथ नहीं रखता है और उसकी पैसे देने की हैसियत नहीं है। रमा अ.सा.1 के बच्चा पैदा होने के 5-6 दिन बाद वह अपने

बच्ची की अस्पताल से छुट्टी कराकर अपने घर लेकर आया था।

30. प्रेमसिंह अ.सा.3 ने भी मुख्यपरीक्षण में रमा अ.सा.1 के कथन का समर्थन किया है कि रमा अ.सा.1 की शादी में उसके पिता ने चार लाख रुपये नगद, मोटरसाइकिल व गृहस्थी का सामान दिया था और 4-5 महीने रमा अ.सा.1 शिवसिंह अना.सा.1 के साथ रही तब दहेज में पचास हजार रुपये कम देने पर शिवसिंह अना.सा.1 व उसके घरवाले रमा अ.सा.1 को परेशान करते थे और तीन साल से रमा अ.सा.1 अपने माता-पिता के साथ रह रही है उसे ससुराल से लेने कोई नहीं आया है। रमा अ.सा.1 अपने माता पिता के पास नाबालिग बच्चे के साथ मजबूरी में रह रही है।
31. दर्शनसिंह अ.सा.4 ने भी कथन किया है कि शिवसिंह अना.सा.1 ने रमा अ.सा.1 की दहेज के लिए मारपीट कर उसे घर से भगा दिया तब से वह अपने पिता के यहां रह रही है।
32. शिवसिंह अना.सा.1 ने कथन किया है कि शादी के बाद 2-4 महीने रमा अ.सा.1 सही से रही फिर झगड़ा करने लगी और उसकी मां को तंग करने लगी उसके भाई व भतीजों को घर से निकाल दिया और कहने लगी कि पैसे रमा अ.सा.1 के घर भेजो और रमा अ.सा.1 के भाइयों को रखो जिसका उनके मध्य विवाद चलता रहा। फिर उसके सास ससुर सावन में भोपाल आये और रमा अ.सा.1 को विदा कराकर अपने साथ ले गये। और ले जाते समय बिना बताये। शिवसिंह अना.सा.1 की मां के जेवर जो रमा अ.सा.1 के जेवरों के साथ जो शादी में बनाये थे रखे थे। रमा अ.सा.1 जेवर व कपड़ों के साथ लेकर अपने मायके दिनांक 29.07.11 को चली गयी। उसके ससुर से नवदुर्गा में विदा कराने की तय हुई थी। दिनांक 28.09.11 को नवदुर्गा में वह रमा अ.सा.1 के घर विदा कराने के लिए गया तो रमा अ.सा.1 के पिता ने विदा करने से मना कर दिया और भाई भतीजी व मां को साथ रखने से मना किया और रमा अ.सा.1 के पिता ने स्वयं को पैसे भेजने ढाई लाख रुपये देने व अपने बच्चों को रखने व नौकरी लगवाने के लिए कहा। दिनांक 05.10.11 को वह फिर रमा अ.सा.1 को लेने के लिए गया। तब फिर उपरोक्त बात दोहराई और विदा करने से मना कर दिया और रमा अ.सा.1 के लिए और जेवर बनवाने पर ही मां के जेवर वापिस करने को कहा। फिर रमा अ.सा.1 के पिता 25-30 आदमियों को लेकर धमकाने के लिए आये और कहा कि उनकी बात मान लो तभी लड़की की विदा करेंगे नहीं तो दहेज एक्ट में फंसवा देंगे जिसकी रिपोर्ट दिनांक 28.01.12 को थाना एण्डोरी में जाकर की थी फिर वह अपनी नौकरी पर चला गया। इसके बाद रमा अ.सा.1 और उसके पिता के धमकी भरे फोन आते रहे। जिसकी दिनांक 14.08.11 को अपने उच्चाधिकारियों को लिखित में सूचना दी और उनकी सलाह पर थाना हबीबगंज, थाना देवगढ़, पुलिस अधीक्षक मुरैना और महिला परामर्श केन्द्र थाना हबीबगंज और थाना मिसरौल में रिपोर्ट की। थाना हबीबगंज में महिला परामर्श केन्द्र द्वारा बार-बार बुलाये जाने पर भी रमा अ.सा.1 उपस्थित नहीं हुई। इसलिए केस समाप्त हो गया। दिनांक 29.11.11 को धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का केस लगाया जिसमें रमा अ.सा.1 को उसके साथ रहने का न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया। लेकिन रमा अ.सा.1 उसके साथ नहीं रह रही है।
33. उक्त मौखिक साक्ष्य के समर्थन में शिवसिंह अना.सा.1 ने धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन प्रस्तुत आवेदन प्र0डी-1 उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जवाब

प्र0डी-2 और जवाब के समर्थन में रमा अ.सा.1 का शपथपत्र प्र0डी-3, उक्त प्रकरण में पारित निर्णय प्र0डी-4 और डिक्री प्र0डी-5 प्रस्तुत किए हैं। प्र0डी-1 लगायत 3 की सत्यता को रमा अ.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में स्वीकार किया है। रमा अ.सा.1 की साक्ष्य दिनांक 16.01.14 के पश्चात पारित निर्णय प्र0डी-4 दिनांकित 29.01.14 को सुरेशसिंह अ.सा.2 द्वारा प्रतिपरीक्षण के प्रतिपरीक्षण के पैरा 9 में सही होना स्वीकार किया है। सुरेशसिंह अ.सा.2 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में स्वीकार किया है कि शिवसिंह अना.सा.1 ने उसकी बेटी को साथ रखने के लिए भोपाल न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था जिसमें वह हाजिर हुआ था।

34. परिवार परामर्श केन्द्र में शिवसिंह अना.सा.1 द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रोसीडिंग प्र0डी-22 पेश की है। जिसमें उल्लेख है कि परिवार परामर्श केन्द्र में दिनांक 17.08.11 को शिवसिंह अना.सा.1 ने आवेदन पेश किया। अगली नियत दिनांक 25.08.11 को शिवसिंह अना.सा.1 व रमा अ.सा.1 अनुपस्थित रहे। अगली दिनांक 13.10.11 को शिवसिंह अना.सा.1 उपस्थित हुआ और रमा अ.सा.1 ने फोन पर चर्चा में बताया कि शिवसिंह अना.सा.1 को परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थित रहने को कहा गया था लेकिन वह नहीं आया जिसका खण्डन शिवसिंह अना.सा.1 ने किया है। अतः उभयपक्ष के मध्य सुलहवार्ता सफल नहीं हुई।

35. अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने विभाग में रमा अ.सा.1 के विरुद्ध प्रस्तुत शिकायत प्र0डी-14 थाना प्रभारी मिसरौल को प्रस्तुत शिकायत प्र0डी-15, महिला परामर्श केन्द्र भोपाल में प्रस्तुत आवेदन प्र0डी-16, पुलिस अधीक्षक मुरैना को प्रस्तुत आवेदन प्र0डी-17 व 18 एवं प्र0डी-21 एवं प्र0डी-23 और रशीद प्र0डी-19 व 20 प्रस्तुत की है। जिसमें रमा अ.सा.1 द्वारा उसे परेशान किए जाने और धमकी दिए जाने के तथ्य उल्लिखित हैं। शिवसिंह अना.सा.1 द्वारा रमा अ.सा.1 को दिनांक 20.07.14 को अपने साथ रहने हेतु अन्य अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिया गया नोटिस प्र0डी-26 उसकी रशीद प्र0डी-27 प्रस्तुत की है।

36. रमा अ.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में कथन किया है कि ग्राम ऐन्हों में रहने के दौरान उसके पिता के आने पर पिता ने कोई शिकायत की अथवा नहीं वह नहीं बता सकती। सुरेशसिंह अ.सा.2 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में कथन किया है कि ग्वालियर से ऐन्हों आते समय दहेज मांगने की जानकारी उसे थी। परन्तु ऐन्हों अथवा ग्वालियर में उसने कोई रिपोर्ट नहीं की और यह स्वीकार किया है कि बच्चा होने के बाद ही भोपाल में उसने सबसे पहले रिपोर्ट की थी। रमा अ.सा.1 व सुरेशसिंह अ.सा.2 ने स्वीकार किया है कि प्रकरण में रिपोर्ट पेश नहीं की गयी है। सुरेशसिंह अ.सा.2 ने यह भी स्वीकार किया है कि वैवाहिक पुनर्स्थापना के प्रकरण में हाजिर होने के 5 माह बाद उसने दहेज के संबंध में रिपोर्ट की है। शिवसिंह अना.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 में स्वीकार किया है कि उसके व उसके माता पिता व भाइयों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का मामला न्यायालय में संचालित है। अतः अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 के कूरतापूर्ण आचरण के संबंध में आवेदिका रमा अ.सा.1 ने संबंधित न्यायालय में कार्यवाही की यह तथ्य भी स्पष्ट होता है।

37. रमा अ.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में कथन किया है कि वह नहीं बता सकती कि दहेज को लेकर किस तारीख, महीना में उसके साथ मारपीट हुई थी और दिनांक 15.05.12 को प्रथम बार भोपाल में शिकायत करने के बाद उसने

कहीं शिकायत नहीं की। रमा अ.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में एवं सुरेशसिंह अ.सा.2 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 में इंकार किया है कि रमा अ.सा.1 अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 से मां-बाप और भाई पर पैसे खर्च करने की जगह जेवर बनवाने के लिए पैसे मांगती थी अन्यथा दहेज के केस में फंसवाने और आत्महत्या करने की धमकी देती थी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि वह झूठे केस में फंसवाकर नौकरी छुड़वाने की धमकी देती थी जिसकी शिकायत अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 ने थाना व वरिष्ठ अधिकारियों को की थी। इस सुझाव से इंकार किया है कि रमा अ.सा.1 अकारण अपने पति से अलग रह रही है। रमा अ.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में स्वीकार किया है कि भोपाल में परामर्श केन्द्र में उसे बुलाया गया था। परन्तु इस सुझाव से इंकार किया है कि वह बुलाये जाने के बाद भी नहीं गयी थी। सुरेशसिंह अ.सा.2 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 12 में इंकार किया है कि रमा अ.सा.1 अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 से अवैध धन दिलवाना चाहती है। दर्शनसिंह अ.सा.4 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में इंकार किया है कि अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 ने दहेज के पचास हजार रुपये नहीं मांगे और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि रमा अ.सा.1 स्वेच्छा से अपने पति से प्रथक रह रही है।

38. शिवसिंह अना.सा.1 को इस संबंध में प्रतिपरीक्षण के प्रतिपरीक्षण के पैरा 5-6 में सुझाव दिए गए हैं कि उसके द्वारा आवेदिका रमा अ.सा.1 से दहेज की मांग की गयी और न देने पर उसे प्रताड़ित किया गया तथा रमा अ.सा.1 को अपने माता पिता से बात करने नहीं दिया जिस कारण वह भोपाल आये जिससे शिवसिंह अना.सा.1 ने इंकार किया है। शिवसिंह अना.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में इंकार किया है कि दिनांक 01.08.11 को उसने रमा अ.सा.1 की मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया और वर्ष 2011 की नवदुर्गा में भी पचास हजार रुपये की व्यवस्था करने की धमकी दी। शिवसिंह अना.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में इंकार किया है कि उसने बचाव स्वरूप आवेदिका रमा अ.सा.1 के विरुद्ध मिथ्या शिकायतें की थीं और वह जानता था कि आवेदिका रमा अ.सा.1 रिपोर्ट दर्ज करायेगी इसलिए उसने मिथ्या शिकायतें कीं और आवेदिका रमा अ.सा.1 को फोन पर धमकी दी और प्रतिपरीक्षण के पैरा 10 में दस्तावेज प्र0पी-14 लगायत 27 गलत रूप से तैयार करके पेश करने के सुझाव से इंकार किया है। शिवसिंह अना.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 9 में इंकार किया है कि आवेदिका रमा अ.सा.1 परिवार परामर्श केन्द्र हबीबगंज में उपस्थित हुई थी और पुलिस से मिलकर आवेदिका रमा अ.सा.1 को अनुपस्थित दिखाकर उसने कार्यवाही समाप्त करा दी। शिवसिंह अना.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 में इंकार किया है कि जानबूझकर आवेदिका रमा अ.सा.1 और अपने बच्चे का परित्याग किए हुए है। अतः आवेदिका रमा अ.सा.1 द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिए कथन प्रतिपरीक्षण में भी इस बिन्दु पर अखण्डित रहे हैं कि अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 द्वारा दहेज की मांग की गयी है परन्तु आवेदिका रमा अ.सा.1 के उक्त मुख्यपरीक्षण में दिए कथन का खण्डन शिवसिंह ने उपरोक्तानुसार प्रतिपरीक्षण में किया है। उपरोक्त संपूर्ण तथ्य निर्णय प्र0डी-4 दिनांक 29.01.14 के पूर्व के हैं। अतः धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन उठाये गये संपूर्ण तथ्यों को ही इस प्रकरण में उठाया गया है।

39. प्रकरण में स्वीकृत है कि अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 के द्वारा आवेदिका रमा अ.सा.1 के विरुद्ध धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन डिक्री प्र0डी-5 प्राप्त की गयी है। उक्त डिक्री को इसी न्यायालय में आवेदिका रमा

अ.सा.1 ने चुनौती दी है यह आवेदिका रमा अ.सा.1 द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में आवेदिका रमा अ.सा.1 के विरुद्ध धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन पारित डिक्री प्रभावशील है। इस संबंध में न्यायदृष्टात **Captain Ramesh Chander Kaushal Vs. Mrs. Veena Kaushal and others AIR 1978 S.C.1807**, में प्रतिपादित किया गया है कि

"6. Broadly stated and as an abstract proposition, it is valid to assert, as Sri Desai did, that a final determination of a civil right by a civil court must prevail against a like decision by a criminal court. But here two factors make the principle inapplicable. Firstly, the direction by the civil court is not a final determination under the Hindu Adoptions and Maintenance Act but an order pendente lite, under S. 24 of the Hindu Marriage Act to pay the expenses of the proceeding, and monthly during the proceeding such sum as, having regard to the petitioner's own income and the income of the respondent. It may seem to the court to be reasonable. Secondly, this amount does not include the claim for maintenance of the children although the order does advert to the fact that the respondent has their custody. This incidental direction is no comprehensive adjudication.

40. न्यायदृष्टात **Ravi Kumar vs Santosh Kumari II (1998) DMC 590** में प्रतिपादित किया गया है कि

The learned Single Judge found that there was a conflict of authorities of different High Courts on the point as

to whether the wife against whom decree for restitution of conjugal rights has been passed, is entitled to claim maintenance under Section 125 of the Code. In view of this, the learned Single Judge directed that the matter be placed before Hon'ble the Chief Justice for constituting a larger Bench to decide this question. This is how this case has come up before this Bench to decide the following question of law :

"Whether the wife against whom decree for restitution of conjugal rights has been passed, is entitled to claim maintenance under Section 125 of the Code of Criminal Procedure ?"

.....

12. We, therefore, answer the question of law referred to us as follows:

(1) The wife against whom a decree of restitution of conjugal rights has been passed by the Civil Court, shall not be entitled to claim allowance under Section 125 of the Code of Criminal Procedure if in the proceedings of restitution of conjugal rights before the Civil Court, a specific issue has been framed that whether without sufficient reason, the wife refuses to live with the husband, and the parties have been given an opportunity to lead evidence and thereafter specific

findings are re- corded by the Civil Court on this issue;

(2) But in case the husband has got an ex-parte decree of restitution of conjugal rights from the Civil Court, such decree shall not be binding on the Criminal Court in exercise of its jurisdiction under Section 125 of the Code of Criminal Procedure;

(3) In case the decree for restitution of conjugal rights has been obtained by the husband subsequent to the order for maintenance passed by the Magistrate under Section 125, Cr.P.C. then the decree ipsofacto, shall not disentitle the wife to her right of maintenance and in that case, the husband will have to approach the Court of the Magistrate under Sub-section (5) of Section 125 of the Code of Criminal Procedure for cancelling the order granting maintenance under Section 125, Cr.P.C; and (4) The wife against whom decree of restitution of conjugal rights in the manner indicated in our first conclusion has been passed, will get the right to claim maintenance from the husband with effect from the date when she is granted divorce and she will continue getting this maintenance till she re-marries.

41- न्यायदृष्टात् Hem Raj vs Urmila Devi And Ors. I (1997) DMC 467 में प्रतिपादित किया गया है कि

On a consideration of the aforesaid rulings, I have no hesitation to hold

that once a Civil Court has found in a contested proceeding on the basis of evidence that the wife had no just or reasonable cause to withdraw her society from the husband, she cannot claim maintenance under Section 125 of the Code of Criminal Procedure. It is not as if she had pleaded any subsequent event or circumstance, which justified her to stay away from her husband inspite of the decree for restitution of conjugal rights having been passed against her.

42. अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित विधि के सामान्य अनुसरण से यह स्पष्ट होता है कि अगर धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन सिविल न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणदोषों के आधार पर इस बिन्दु को स्पष्ट रूप से विनिश्चित कर कि क्या पत्नी अपने पति से अकारण प्रथक रह रही है निष्कर्ष दिया गया हो तब वह निष्कर्ष दाण्डिक न्यायालय पर बंधनकारी रहता है।
43. निर्णय प्र0डी-4 का वादप्रश्न क्रमांक 1 इसी आशय का विरचित किया गया है कि क्या अनावेदिका अकारण आवेदक से प्रथक रह रही है उक्त प्रकरण में आवेदिका रमा अ.सा.1 उपस्थित रही है और उसे साक्ष्य का अवसर भी दिया गया है और वह प्रकरण में एकपक्षीय नहीं रही है। उक्त निर्णय प्र0डी-4 को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। अतः निर्णय सिविल व वरिष्ठ न्यायालय का होने से इस न्यायालय पर भी बंधनकारी है। अतः निर्णय प्र0डी-4 का विनिश्चय इस न्यायालय पर भी बंधनकारी है। निर्णय प्र0डी-4 में उल्लिखित दिनांक के पूर्व के दिनांक के ही संबंध में उभयपक्ष ने इस प्रकरण में साक्ष्य दी है। अतः इस न्यायालय द्वारा पुनः गुणदोषों पर विपरीत विनिश्चय नहीं दिया जा सकता है। जिससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि आवेदिका रमा अ.सा.1 अकारण अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 से प्रथक निवास कर रही है।
44. धमकी के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य में अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 ने अभियोग पत्र प्र0डी-6 प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार थाना देवगढ़ जिला मुरैना के अप0क्र0 10/07 में रमा अ.सा.1 के पिता सुरेशसिंह अ.सा.2 के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 307, आयुध अधिनियम की धारा 25/27 और एम.पी.डी.पी.के. एक्ट की धारा 11/13 में अभियोग पत्र पेश किया गया है। उक्त अपराध में पंजीबद्ध एफ. आई.आर. प्र0डी-7 भी प्रस्तुत की है। थाना देवगढ़ के अप0क्र0 06/07 जो भी धारा 307, आयुध अधिनियम की धारा 25/27 और एम.पी.डी.पी.के. एक्ट की धारा 11/13 व अन्य धारा के अधीन दर्ज हुआ है, की एफ.आई.आर. प्र0पी-9 और सुरेशसिंह अ.सा.2 के विरुद्ध प्रस्तुत अभियोग पत्र प्र0पी-8 की प्रमाणित प्रतिलिपि

पेश की है। थाना देवगढ़ के अप0क्र0 09/07 धारा 364, आयुध अधिनियम की धारा 25/27 और एम.पी.डी.पी.के. एक्ट की धारा 11/13 की एफ.आई.आर. प्र0डी-11 और उक्त अपराध में सुरेशसिंह अ.सा.2 के विरुद्ध प्रस्तुत अभियोग पत्र प्र0डी-10 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है। जिसके संबंध में सुरेशसिंह अ.सा.2 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 10 में स्वीकार किया है कि उक्त अभियोग पत्र व एफ.आई.आर. प्र0डी-6 लगायत 11 की प्रमाणित प्रतिलिपि सही है और स्वतः कथन किया है कि उक्त अपराध उसके विरुद्ध झूठे दर्ज हुए थे जिनमें वह बरी हो चुका है और स्वीकार किया है कि उसने बरी होने के संबंध में कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किया है और इस सुझाव से इंकार किया है कि वह डकैत जगजीवन परिहार की गैंग का सक्रिय सदस्य था। इस कारण उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुए थे और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उक्त अपराधों में वह बरी नहीं हुआ है।

45. रमा अ.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में स्वीकार किया है कि उसके पिता के विरुद्ध जगजीवन परिहार के गैंग के सदस्य रहने के मुकद्दमे चले हैं लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है कि उसका परिवार आपराधिक मनःस्थिति का है इसलिए परेशान करने के लिए अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 से धन ऐंठना चाहती है। उक्त दस्तावेज अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और उन्हीं के द्वारा प्रख्यात किया गया है कि रमा अ.सा.1 के पिता आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध तीन गंभीर आपराधिक प्रकरण में अभियोग पत्र पेश किया गया है। उक्त आपराधिक प्रकरण सत्य है यह सक्षम न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही निर्धारित हो सकता है और उक्त प्रकरणों में आरोपी रमा अ.सा.1 के पिता को दोषसिद्ध घोषित किया गया इस तथ्य का सबूत का भार अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 पर ही है परन्तु अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 द्वारा इस संबंध में कोई लोक दस्तावेज, निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नहीं की गयी है। अतः मात्र अभियोग पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियों से यह स्वमेव नहीं माना जा सकता है कि सक्षम न्यायालय ने अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 को उक्त प्रकरणों में दोषसिद्ध किया हो।

46. अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 ने थाना प्रभारी एण्डोरी को दिए आवेदन प्र0डी-24 व अनुवाद प्र0डी-25 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार रमा अ.सा.1 के पिता ने शिवसिंह अना.सा.1 के भाई को जान से मारने की धमकी ग्राम ऐन्हों में आकर दी है।

47. विक्रमसिंह अना.सा.2 ने कथन किया है कि उसके भाई शिवसिंह अना.सा.1 को रमा अ.सा.1 द्वारा दूरभाष पर अलग-अलग नंबरों से कई गयी बातचीत की स्क्रिप्ट मय हिन्दी अनुवाद के उसने तैयार किए हैं जिसकी मूल मैमोरी कार्ड और सी.डी. उसने तैयार की है। मैमोरी कार्ड में सुरक्षित रिकार्डिंग की हूबहू स्क्रिप्ट तैयार की है जिसके प्रत्येक पेज पर उसके हस्ताक्षर हैं और उसने कुछ नहीं बढ़ाया है ना ही काटा है। अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 ने सी.डी. प्र0डी-13 मैमोरी कार्ड प्र0डी-12 और रिकार्डिंग प्र0डी-28 लगायत प्र0डी-37 प्रस्तुत किए हैं जिसमें दिनांक 21.05.14, 24.06.14, 27.08.14, 06.10.14, 13.10.14 को रमा अ.सा.1 और शिवसिंह अना.सा.1 के मध्य दूरभाष पर हुए वार्तालाप और दिनांक 13.10.14 को रमा अ.सा.1 के पिता सुरेशसिंह अ.सा.2 व शिवसिंह अना.सा.1 के मध्य हुई दूरभाष पर वार्तालाप की लिखित प्रति प्रस्तुत की गयी है।

48. विक्रमसिंह अना.सा.2 को प्रतिपरीक्षण में स्क्रिप्ट तैयार करने की योग्यता

के संबंध में उसे सुझाव दिए गए हैं। परन्तु प्रस्तुत दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के अधीन दिए गए प्रमाण पत्र के खण्डन के संबंध में आवेदिका रमा अ.सा.1 ने स्वयं की कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। उक्त स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए कोई व्यावसायिक योग्यता आवश्यक नहीं है और उल्लिखित अवधि में रमा अ.सा.1 व शिवसिंह अना.सा.1 के मध्य दूरभाष पर वार्तालाप नहीं हुई इस तथ्य को आवेदिका रमा अ.सा.1 साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। अतः विक्रमसिंह अना.सा.2 के कथन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। अतः इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्र0डी-12 व 13 व रमा अ.सा.1 व शिवसिंह अना.सा.1 के मध्य विविध दिनांकों को हुए वार्तालाप से यह स्पष्ट होता है कि आवेदिका रमा अ.सा.1 द्वारा अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 को धमकियां दी गयी थीं परन्तु किसी वार्तालाप में यह उल्लेख नहीं है कि आवेदिका रमा अ.सा.1 अथवा अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 परस्पर एक दूसरे से दहेज या अवैध धन की मांग कर रहे थे। परन्तु पारिवारिक विद्वेष के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में आवेदिका रमा अ.सा.1 द्वारा अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 को धमकी दी गयी है परन्तु स्क्रिप्ट प्र0पी-28 लगायत 31, 33 में शिवसिंह अना.सा.1 द्वारा कुछ नहीं बोला गया है। जो अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 की पश्चातवर्ती सोच स्पष्ट करता है।

49. अतः आवेदिका रमा अ.सा.1 के पिता की पूर्व की आपराधिक पृष्ठभूमि पर न्यायालय का विनिश्चय अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 साबित नहीं कर सका है। उभयपक्ष के मध्य दूरभाष में हुई वार्तालाप में भी आवेदिका रमा अ.सा.1 द्वारा अवैध धनराशि मांगे जाने या अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 द्वारा दहेज मांगे जाने का तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है। अतः अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 की यह प्रतिरक्षा सिद्ध नहीं होती है कि आवेदिका रमा अ.सा.1 अथवा उसके पिता द्वारा अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 को धमकाया जा रहा है जिस कारण वह आवेदिका रमा अ.सा.1 को साथ नहीं रख पा रहा है।
50. आवेदिका द्वारा न्यायदृष्टांत **सुनीता कछवाह व अन्य बनाम अनिल कछवाह व अन्य 2014(4) सी.सी.एच.सी. 1910 (एस.सी.)** का अवलम्ब लिया है कि धारा 125 द.प्र.स. की कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की होती है इसमें यह अभिनिश्चित किया जाना आवश्यक नहीं है कि पति पत्नी में से कौन गलत है। उक्त न्यायदृष्टांत प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन पूर्व में अकारण प्रथक रहने के संबंध में विनिश्चय दिया जा चुका है।
51. धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन पारित डिक्री के उपरांत अनावेदक द्वारा आवेदिका को दिए गए सूचना पत्र के उपरांत भी आवेदिका ने अनावेदक के साथ जीवन निर्वाह नहीं किया। परिवार परामर्श केन्द्र की कार्यवाही में भी आवेदिका व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुई। अतः दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना हेतु भी आवेदिका क्रमांक 1 ने कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया।
52. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना व न्यायदृष्टातों में प्रतिपादित विधि के आलोक में यह सिद्ध होता है कि आवेदिका रमा अ.सा.1 बिना पर्याप्त कारण के अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 से प्रथक निवास कर रही है। अतः इस विचारणीय प्रश्न का विनिश्चय साबित के रूप में दिया जाता है।

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 पर सकारण निष्कर्ष//

53. रमा अ.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उसका बच्चा ऑपरेशन से पैदा हुआ था जिसके बाद शिवसिंह अना.सा.1 को बुलाया था। ऑपरेशन में चालीस हजार रुपये खर्च हुआ था जो भी शिवसिंह अना.सा.1 ने उसे नहीं दिया। सुरेशसिंह अ.सा.2 ने भी रमा अ.सा.1 के उपरोक्त कथन का अपने मुख्यपरीक्षण में समर्थन किया है कि जब रमा अ.सा.1 आठ मास की गर्भवती थी तब इंसानियत के नाते वह रमा अ.सा.1 को शिवसिंह अना.सा.1 के पास भोपाल लेकर गया था लेकिन शिवसिंह अना.सा.1 ने उसे कैम्पस में नहीं घुसने दिया और कहा कि उसे मतलब नहीं है उसके पास लेकर मत आना उसके बाद उसने रमा अ.सा.1 को दरबारी अस्पताल भोपाल में भर्ती किया जहां ऑपरेशन से रमा अ.सा.1 के बच्चा पैदा हुआ। दर्शनसिंह अ.सा.4 ने भी कथन किया है कि रमा अ.सा.1 के बच्चे का जन्म भोपाल में हुआ था। तब बच्चे के जन्म में अस्पताल का खर्च भी रमा अ.सा.1 के पिता ने दिया था।
54. शिवसिंह अना.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में स्वीकार किया है कि जब रमा अ.सा.1 भोपाल से आई थी तब वह गर्भवती थी। शिवसिंह अना.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 10 में यह जानकारी होने से इंकार किया है कि आवेदिका रमा अ.सा.1 को अचानक प्रसव दर्द हुआ और उसके पिता ने दरबारी अस्पताल भोपाल में भर्ती कराया और इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे पुत्र पैदा होने की जानकारी फोन पर दी थी और यह जानकारी होने से इंकार किया है कि अस्पताल का खर्चा आवेदिका रमा अ.सा.1 के पिता ने दिया था। परन्तु यह स्वीकार किया है कि अस्पताल का खर्च उसने नहीं दिया था।
55. अतः स्वयं शिवसिंह अना.सा.1 ने स्वीकार किया है कि उसने आवेदक क 2 नितिन के जन्म के समय प्रसव व्यय नहीं दिया। पिता के नाते उसका यह नैतिक दायित्व था कि वह अपनी संतान के जन्म के समय प्रसव की समुचित व्यवस्था करे और उक्त नैतिक दायित्व का शिवसिंह अना.सा.1 ने कोई निर्वाहन नहीं किया।
56. अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 ने इस संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं दी है कि वह आवेदक क 2 नितिन को आहार अथवा शिक्षा हेतु किसी भी माध्यम से भरण पोषण प्रदान कर रहा हो। इस प्रकरण के प्रस्तुत करने के पूर्व अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 द्वारा रमा अ.सा.1 को भरण पोषण प्रदान किया गया इस संबंध में भी कोई अभिवचन या साक्ष्य नहीं दी गयी है। अतः यह सिद्ध होता है कि अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 ने आवेदकगण के भरण पोषण की उपेक्षा की।
57. अतः इस विचारणीय प्रश्न का विनिश्चय साबित के रूप में दिया जाता है।

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक 6 पर सकारण निष्कर्ष//

58. उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों पर प्राप्त विनिश्चय के आधार पर यह प्रमाणित हुआ है कि आवेदिका रमा अ.सा.1 बिना पर्याप्त कारण के अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 से प्रथक निवास कर रही है जबकि निर्णय प्र0डी-4 के अनुसार अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 रमा अ.सा.1 को साथ रखने हेतु तैयार है। रमा अ.सा.1 को साथ रखते हुए अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 ने भरण पोषण संदाय

नहीं किया इस संबंध में आवेदकगण ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः आवेदिका रमा अ.सा.1 भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः आवेदिका रमा अ.सा.1 के संबंध में आवेदन निरस्त किया जाता है।

59. शिवसिंह अना.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 में स्वीकार किया है कि आवेदक क 2 नितिन उसका पुत्र है। अतः यह सिद्ध होता है कि आवेदक क्रमांक 2 नितिन अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 की संतान है। आवेदक नितिन के संबंध में यह प्रमाणित हुआ है कि वह अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 की संतान है जो स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है परन्तु पर्याप्त साधन होने के उपरांत भी अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 ने उसके भरण पोषण की उपेक्षा की है। अतः आवेदक नितिन भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी होना सिद्ध होता है। अतः आवेदक नितिन के संबंध में आवेदन स्वीकार किया जाता है।

60. आवेदकगण द्वारा संयुक्त रूप से बीस हजार रुपये भरण पोषण की प्रार्थना की है परन्तु आवेदक रमा अ.सा.1 भरण पोषण की पात्र होना सिद्ध नहीं हुई है। आवेदक नितिन वर्तमान में लगभग 4 वर्ष का है। अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 शासकीय सेवा में कार्यरत है जिसमें स्वयं का वेतन प्रमाण पेश नहीं किया है। अतः आवेदक नितिन को पांच हजार रुपये भरण पोषण दिलाया जाना प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों में उचित प्रतीत होता है।

61. अतः अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश दिनांक से प्रत्येक मास की दिनांक 05 तक मासानुमास आवेदक नितिन को पांच हजार रुपये भरण पोषण राशि संदाय करे।

62. अनावेदक शिवसिंह अना.सा.1 स्वयं के साथ आवेदकगण का प्रकरण व्यय वहन करेगा। जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ी जाये।

63. आदेश की प्रति आवेदकगण को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक :-

सही/—

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0